सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/SER-1907/MH/2/2025-RU-I (RU-I)

दिनांक: 18.05.2026

नगर आयुक्त,
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC),
दूसरी मंज़िल, पुरानी इमारत, BMC मुख्यालय,
महानगरपालिका मार्ग,
मुंबई-400001, महाराष्ट्र
ईमेल ID: mc@mcgm.gov.in

अतिरिक्त नगर आयुक्त, (पूर्वी उपनगर),
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC),
दूसरी मंज़िल, पुरानी इमारत, BMC मुख्यालय,
महानगरपालिका मार्ग,
मुंबई-400001, महाराष्ट्र
ईमेल ID: amc.es@mcgm.gov.in

नगर अभियंता,
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC),
दूसरी मंज़िल, पुरानी इमारत, BMC मुख्यालय,
महानगरपालिका मार्ग,
मुंबई-400001, महाराष्ट्र
ई-मेल: ce@mcgm.gov.in

विषय: बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत पदोन्नति में हो रही देरी के संबंध में श्री शामकांत वसंत बाविष्कर, फ्लैट नंबर 2, BMC अधिकारी बंगला, वाटर वर्क्स यार्ड, LBS मार्ग, घाटकोपर (पश्चिम) मुंबई-400086, महाराष्ट्र का दिनांक 02.12.2024 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 20.04.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री शामकांत वसंत बाविष्कर,
फ्लैट नंबर 2, BMC अधिकारी बंगला,
वाटर वर्क्स यार्ड, LBS मार्ग, घाटकोपर (पश्चिम),
मुंबई-400086, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/SER-1907/MH/2/2025-RU-I

अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

श्री शामकांत वसंत बाविस्कर, फ्लैट नंबर 2, बीएमसी ऑफिसर्स बंगला, वाटर वर्क्स यार्ड, एलबीएस मार्ग, घाटकोपर पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र – 400086 द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में पदोन्नति एवं वरिष्ठता संबंधी शिकायत के संबंध में दिनांक 20.04.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक: 20.04.2026

अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री शामकांत वसंत बाविस्कर द्वारा दिनांक 02.12.2024 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में उप अभियंता (एम. एंड ई.) पद पर पदोन्नति एवं वरिष्ठता प्रदान करने में देरी किए जाने संबंधी शिकायत की। अभ्यावेदन में याचिकाकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनका चयन जूनियर इंजीनियर (एम. एंड ई.) के रूप में हुआ था तथा विभागीय सीधी भर्ती कोटा प्रक्रिया एवं लागू नियमों के अनुसार उन्हें उप अभियंता (एम. एंड ई.) पद पर समयानुसार पदोन्नति प्रदान की जानी चाहिए थी।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बैकलॉग रिक्तियां उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें समय पर पदोन्नति नहीं दी गई, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने बाद में नियुक्त हुए अधिकारियों के मध्य अपनी वरिष्ठता खो दी।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण में आयोग द्वारा म्युनिसिपल आयुक्त, अतिरिक्त म्युनिसिपल आयुक्त तथा सिटी इंजीनियर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका को दिनांक 21.01.2025 को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया था। प्राप्त प्रतिवेदन में बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा अवगत कराया गया कि श्री शामकांत वसंत बाविस्कर की नियुक्ति दिनांक 08.07.2005 को कनिष्ठ अभियंता (एम. एंड ई.) के रूप में हुई थी तथा वर्ष 2006 की सीधी भर्ती प्रक्रिया के समय वे न तो चयनित अभ्यर्थी थे और न ही पदोन्नति हेतु आवश्यक दो वर्ष की सेवा पूर्ण करते थे। उन्हें विभागीय परिपत्र, वर्ष 2008 के अंतर्गत दिनांक 17.01.2009 को उप अभियंता (एम. एंड ई.) नियुक्त किया गया। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया कि निगम के अनुसार वर्ष 2006 से पूर्व पदोन्नति अथवा वरिष्ठता का लाभ प्रदान करना नियमों के अनुरूप संभव नहीं है तथा प्रकरण में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं किया गया।

सिटी इंजीनियर, बीएमसी द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 14.01.2026 में यह भी अवगत कराया गया कि आयोग के दिनांक 19.08.2025 के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसा के अनुपालन में याचिकाकर्ता को वर्ष 2006 से पूर्व वरिष्ठता लाभ प्रदान करना निगम के नियमों के अनुरूप संभव नहीं है।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख:

प्रकरण में दिनांक 19.08.2025 को सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाएँ की गई थीं:-

याचिकाकर्ता श्री शामकांत वसंत बाविस्कर को पदोन्नति कोटे के अंतर्गत दिनांक 20.10.2006 के भर्ती विज्ञापन की तिथि से पूर्व उप अभियंता (एम. एंड ई.) पद पर पदोन्नति प्रदान करने की अनुशंसा की गई थी तथा तदनुसार वरिष्ठता लाभ भविष्य की पदोन्नतियों में प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

संबंधित प्राधिकरण को एक माह के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6. दिनांक 20.04.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 22.04.2026 को सुनवाई की अध्यक्षता की गई। सुनवाई के दौरान बृहन्मुंबई महानगरपालिका के प्रतिनिधि श्री कदम आर. पी. सिटी इंजीनियर तथा याचिकाकर्ता उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा यह अवलोकन किया गया कि प्रकरण में अब तक यथास्थिति बनी हुई है तथा बीएमसी द्वारा मामले में किसी प्रकार की ठोस प्रगति अथवा प्रभावी कार्रवाई परिलक्षित नहीं होती है। आवेदक के आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का उचित प्रकार से परीक्षण नहीं किया गया है।

7. दिनांक 20.04.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसा:

आयोग यह अनुशंसा करता है कि प्रकरण में दिनांक 19.08.2025 को आयोजित सुनवाई उपरांत जारी की गई आयोग की अनुशंसाओं का अनुपालन 30 दिवस के भीतर सुनिश्चित किया जाए तथा की गई कार्रवाई के संबंध में विस्तृत अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत किया जाए। साथ ही आवेदक द्वारा दिनांक 13.03.2026 को आयोग को जो Rejoinder दिया गया है, उसे BMC को अग्रेषित किया जाए ताकि वे मामले का पुनर्परीक्षण कर सकें और सकारात्मक परिणाम निकाल सके।

(अंतर सिंह आर्य)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक।
****

फाइल सं NCST SER 1907 MH 2 2025 RU I

दिनांक 20.04.2026

विषय बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत पदोन्नति में विलंब के संबंध में श्री शामकांत वसंत बाविस्कर से प्राप्त दिनांक 02.12.2024 के अभ्यावेदन के संदर्भ मे आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 20.04.2026 को आयोजित सिटिंग सुनवाई की उपस्थिति

क्र सं	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3	श्री आर के दूबे	उप निदेशक		
4	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
5	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

नगर आयुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबई

क्र सं	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	[illegible]	City Engr.	9920562225	
2				
3				
4				

अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबई

क्र सं	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				

नगर अभियंता बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबई

क्र सं	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				

अभ्यावेदक अभ्यावेदिका

क्र सं	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	शामकांत बाविस्कर	स.अ. [illegible]	9930264962	
2				
3				
4				